मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 809 / 541 / सीसी / 16–अड़तीस   भोपाल, दिनांक 14-6-17

प्रति,

चेयरमेन,
सांई ग्रामोत्थान समिति
शाप न. 1 मानसरोवर परिसर, कोलार रोड़
भोपाल–462042
म.प्र.

विषयः–मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव – सांई ग्रामोत्थान समिति भोपाल (मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, विल्कीसगंज , जिला सीहोर)।

संदर्भः–म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क्रमांक 1476 दिनांक 16.12.16 तथा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक के कार्यवाही विवरण में की गई अनुशंसा दिनांक 16.12.16

-----0-----

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाकर आयोग की अनुशंसा दिनांक 16.12.16 के आधार पर राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर आशय–पत्र निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 7 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं विहित प्रक्रिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी।

शर्तें निम्नानुसार हैंः–

1. वह–

(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय--समय पर यथासंशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं, स्थापित करेगा।

(ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करेगा।

2. वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम 10 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागजात तथा व्यपवर्तन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

jan 2016